

संविधान + राज्यव्यवस्था

दिनांक - 10-08-2020

A

- 1909 का अधिनियम मुरिल्लगतर्ग के प्रश्न निवृत्ति के कारण साम्प्रदायिकता का जनक कहलाता है
- इसमें सदस्यों का वोट पर वोटिंग का अधिकार मिला
- सत्येन्द्र गिन्हा वायसराय कार्यकारिणी के प्रथम भारतीय सदस्य बने।

B

- पं. जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा।
- यही बाद में संविधान की प्रस्तावना की मूलबनी।
- प्रस्ताव में "आरतीयों के सपनों" का भारत बनना ही दिखाई पड़ता है।

C

- ऐसी व्यवस्था जिसमें विधियों को बनाने का पूर्ण प्राधिकार संसद का होता है।
- संसद में वास्तव में जनता के प्रतिनिधी होते हैं
- विद्वान व्यवस्था की जन्म दाता कहलाती है।

संविधान + राज्यव्यवस्था

दिनांक - 10-08-2020

A

- 1909 का अधिनियम मुस्लिम लीग के पक्षक विरुद्ध के कारण साम्प्रदायिकता को जनक कहलाता है
- इसमें सदस्यों का वोट पर वोटिंग का अधिकार मिला
- सत्येन्द्र सिन्हा वायसराय कार्यकारी के पक्ष में भारतीय संसद बना।

B

- पं. जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा।
- यही वाद में संविधान की प्रस्तावना को मूलबनी।
- प्रस्ताव में "भारतीयों के सपनों का भारत बनना ही दिखाई पड़ता है।"

C

- ऐसी व्यवस्था जिसमें विधियों को बनाने का पूर्ण अधिकार संसद का होता है।
- संसद में वास्तव में जनता के प्रतिनिधी होते हैं
- विद्वान व्यवस्था को जन्म देता कहलाती है।



प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

1 D

भारतीय राष्ट्रीय पंचांग एक सरकारी रिजर्विड केले 052 है।

यह राक संवत पर आधारित है।

इसे 22 मार्च 1957 में अपनाया गया, इसका प्रथम माह चैत्र होता है।

1 E

राज्यों के बीच सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए क्षेत्रीय या आंचलिक का गठन किया। इनकी संख्या 5 है।

- मध्य प्रदेश, मध्य आंचलिक परिषद में इलीरगढ़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड के साथ है।

यह सलाहकारी कोरम के रूप में कार्य करती है।


1 F

अनुच्छेद -13 मौलिक अधिकारों से अलग विधियां और उनके अपीकरण का प्रावधान करता है।

विधियां इस मात्रा तक शून्य होगी जहां वे

- भाग-3 के उपबन्धों से अलग है।

- यह न्याय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है।



160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:01

मुख्य परीक्षा
म.प्र. लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

1 G

- निवारक निरोध राज्य को शक्ति प्रदान करता है कि कोई संभावित अपराध से संबंधित व्यक्ति को दृष्टांत में लिया जाए।

- राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों पर।

1 H

मंत्रीपरिषद् में जहाँ तीनो श्रेणियाँ - कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री होते हैं, मंत्रीमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं।


मंत्रीपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, मंत्रीमंडल राजनीतिक निर्णय लेती है।

1 I

- पी० के० गुंगन समिति पंचायती राज्य पर विचारों के लिए गठित।

- इनके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की।

- 1989 में गठित।



प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

1 J

अनु 361 प्रावधानित करता है राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को अपने शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायलय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

- कार्यकाल के दौरान कोई भी वाणिक्य कार्यवही संरिष्त नहीं जा सकेगी।

1 K

प्रतिस्पर्धा अधिनियम-2002 के तहत गठित

प्रतिस्पर्धा आयोग 6 सदस्यों व एक अध्यक्ष से मिलकर बना है

कार्य - उपभोक्ता हितों का संरक्षण।


- बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा शकाधिकार की प्रवृत्तियों को रोकना।

1 L

अनु-266 अनुसूची 2 सरकार का स्तरीय धन (कर शायद-व तथा ऋण उधार) संचित निधि में होता है।

- विनियोग अधिनियम या अनुपूर्वक अनुदान द्वारा ही निकारती।

- इस पर भारित वेतन, भत्ते भारित व्यय पर मरदान नहीं होता है।



160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:01

म.प्र. लोक सेवा आयोग

1 M

भारत में राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 5 राज्यों के आमचुनाव में 6% वोट मत तथा राज्यों में लोकसभा सीट प्राप्त।

अथवा

- दो प्रतिशत लोकसभा क्षेत्रों को भिन्न 3 राज्यों में कम से कम चार राज्यों में राज्यस्तरीय दल उदा० भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी

1 N

जनवरी 2019 में पारित 103वें संविधान संशोधन विधेयक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है।

1 O

अनु० 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की गठनपूर्ति न होने पर न्यायाधीशों की संख्या रखने रखने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

तक 2 न्यायाधीशों के सभी अधिकार रखने वाले न्यायाधीशों को प्राप्त है।



२ A

भारतीय राष्ट्रपति के
आधानकाल में आदितीय शान्तिपूर्ण प्रदर्शन
की शर्त ।

आधानकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के
द्वारा की गयी है। इसके निम्न
नीम्न आध्यात्म अनुसंधान से
है :-

(i) किसी राष्ट्र से
सुख

(ii) कोई वाह्य आक्रमण

(iii) देश में आन्दोलन आन्दोलन आशांति

आन्तरिक आशांति के

आध्यात्म का अनुसंधान। वास्तविकता में

हो उनके इन ध्यान में शक्यता

आशांति प्राप्त करना है। यद्यपि

आशांति के अर्थान परम्परागत

विशेष " शब्द का दिया ।

राष्ट्रीय आधान एक आन्तरिक विपत्ति



मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

का अर्थक है न कि राबेनिक
मार्ग लेने का अर्थः शोक आदि
महापदक होने आवश्यक है।



160/4, A B Road, Pipilya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakaritas2014@gmail.com
www.aakaritas.com
9713300123, 8770675662

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या	उत्तर
2	<p>नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुभव के अनुभवों एक खंड में माहिर हो। या आर्थिक एवं वा प्रमुख संस्थाओं में काम करना है।</p>
B	<p>(i) को भारत की संविधान निधि प्रत्येक राज्य, क्षेत्रशासित प्रदेशों में विद्यमान है, संवैधानिक प्रावधानों की परीक्षा की जांच करना है।</p>
	<p>कार्य वा (ii) आकरिमाक निधिओं में लोक शासित निधि के खर्च का परीक्षण।</p>
	<p>(iii) सभी बैंकों को द्वारा नियंत्रित प्रत्येक बैंक है।</p>
	<p>(iv) को रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्था की कार्यवाही की जा सकती है।</p>
	<p>कर्मियों (i) लोक निधि का आदि।</p>
	<p>(ii) खर्चों को खर्च करना।</p>



160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarjas2014@gmail.com
www.aakarjas.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:02

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

विप्लवकर्मों को रोकने के कार्यों की
प्रतिफल नीचे दी गई सुरक्षा सुविधियों
की जांच करना है।

राज्य
संख्या

मुख्य परीक्षा

म. प्र. लोक सेवा आयोग

राज्य
संख्या

इस प्रकार यह अधिनियम
विधायक व सार्वजनिक की खरीद करीबन दोबले
करा लिये रने विचारधाराने रने मुझे रने
सभी प्राधान्यो को रने रने कराने है।



160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarvas2014@gmail.com
www.aakarvas.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:02

दिनांक
दिनांक

पृष्ठ
संख्या

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

गोकार्जुनी नैयु बाटोला, कोयंबा, र.वा.
र.वा. नैयु बाटोला कोयंबा, र.वा.
र.वा. नैयु बाटोला कोयंबा, र.वा.

2020-8-19 18:02

संज्ञान

160/4, A B Road, Pipiliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarjas2014@gmail.com

संख्या

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

२ F

भारतीय संघीय व्यवस्था में
राष्ट्रीय एकता एवं सुदृढता बनाये रखने के
लिए निम्न प्रकारके लक्षण दिखाई
देते हैं :-

- एकीकृत न्याय व्यवस्था
- एकल नागरिकता
- समवर्ती सूची में केंद्र शासक
- अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास
- संघ व राज्य का संयुक्त संविधान
- राज्यों के शीमाव पुनर्गठन केंद्र के पास
- राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति
- राष्ट्रपति शासन में केंद्र की शक्ति का विस्तार



160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:02

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

हाथ में न लिखें

हाथ में न लिखें
प्रश्न संख्या

2 G

न्यायिक पुनरावलोकन न्यायलय की वृद्ध शक्ति है जिसके माध्यम से वृद्ध संविधान की रक्षा करता है।

(i) संविधान के संरक्षण में।

न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व


(ii) मूल अधिकारों के अन्यायपूर्ण प्रयोग में।

(iii) न्यायलय के शक्तियों के विषयों की समीक्षा में।

(iv) सरकार की निरकुशलता को रोकने में

(v) कानूनों की उचित व्याख्या करने तथा उन्हें अमान्य घोषित करने में।

(vi)



160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:02

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

2 J

समाप्तिक न्याय से आशय

मानव को समाज में अपने हित बिना किसी भेद (धर्म, लिंग, जाति) के प्राप्त हो सके।

शैवधानिक प्रावधान

(i) भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाप्तिक, राजनैतिक, आर्थिक समानता का विचार।


(ii) अनु. 15(1) अनु. 12 में मौलिक अधिकारों में धर्म, जाति, लिंग वंश, जाति स्थान के नाम पर भेद का निषेध।

(iii) महिलाओं व बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है (अनु. 15(3))

(iv) अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान (16(4))

(v) नीति निर्देशक तत्वों में समान कार्य के लिए पुरुष एवं महिलाओं को समान वेतन

(vi) बालकों की शुकुमा 2 अतः की देखरेख।



160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:03

2 K

राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन महिला आयोग अधिनियम-1990 के द्वारा 1992 में हुआ

संरचना

→ महिला आयोग एक बहुसदस्यी निकाय है।

I अध्यक्ष

5 सदस्य (एक अनुसूचित जातियाँ जनजाति से संवैधानिक)

- प्रशासनिक कार्य के लिए एक सचिव होता है।


कार्य व शक्तियाँ

(i) महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा तथा संशोधन हेतु सुझाव देना।

(ii) यौन उत्पीड़न संबंधी जांच तथा संवैधानिक अधिकारी को सूचित करना।

(iii) महिलाओं के हितों की रक्षा करना

(iv) आयोग सिविल न्याय की शक्ति रखता है, किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है।




२ ±

लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में नागरिकों की भूमिका अहम है।

अतः शासन एवं प्रशासन के संचालन में जनता की भागीदारी जनभागीदारी कहलाती है।

प्रशासन की स्थापना में भी जनभागीदारी एक अहम खलनाम है।

- श्रीमान्
- (i) प्रशासनको तथा जनता के मध्य उचित संचार मंचों की कमी।
 - (ii) तकनीकी ज्ञान की कमी।
 - (iii) हमारी प्रशासनिक कार्यप्रणाली की द्रव्यता।
 - (iv) जनभागीदारी में नागरिकों की रुचि नहोना।
 - (v) अवशिक्षा व जागरूकता का अभाव
अतः इन सीमाओं को दूर प्रशासनिक कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सकती है।



160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
 aakarias2014@gmail.com
 www.aakarias.com
 9713300123, 8770675662

हासि
में
लिखेंप्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

हासिए
में न
लिखें

2 4

अखिल भारतीय सेवाएँ केंद्रीय एवं राज्य सेवाओं के अतिरिक्त ऐसा सेवा वर्ग है जिसका चयन, प्रशिक्षण केंद्र किन्हीं यह राज्य व केंद्र दोनों के लिए कार्य करती है।

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

→ (1) 3

अखिल भारतीय
सेवाओं
की
उनावश्यकताएँ



160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
 aakarias2014@gmail.com
 www.aakarias.com
 9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:03

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

3 A

भारतीय संविधान के भाग-3 में मूल अधिकारों का विवरण है जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार अनु 19 से 22 तक प्रावधान किये हैं।

ये अधिकार व्यक्ति की अभिव्यक्ति तथा गरिमा को सुनिश्चित करते हैं।

→ अनु-19 - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

स्वतंत्रता के

→ अनु 20 - अपराधी के लिए दीर्घावधि के संवैध में संरक्षण।

अधिकार

→ अनु 21 - प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

→ अनु-21(क) प्रांशिक शिक्षा का अधिकार (86वें संविधान संशोधन)

→ अनु 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

(4)

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

इस 1905 में स्वतंत्रताएँ वगैरह

19(1)(क) - भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएँ

19(1)(ख) शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन



160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:03

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

हाथ में न लिखें

19(1)(ब) संगम व सहायक समिति बनाने का अधिकार

19(1)(घ) - भारत के राज्य क्षेत्र में उन्माह्य संरक्षण का अधिकार।

19(1)(ड) - भारत के किसी भी भाग में निवास व बसने का अधिकार।

19(1)(ख) - कोई प्रति, आपीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार।

19(1)(च) में वर्णित सम्पत्ति के अधिकार को यथा वे संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया।


(2) अपराधी के लिए दोषसिद्धि के संवर्ध में संरक्षण :-

राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दण्डित न कर सके।

(i) 20(1) अन्तर्गामी दण्डक विधियों का संरक्षण।

(ii) 20(2) दोहरे दण्ड से संरक्षण

(iii) 20(3) अपने ही विशुद्ध गवाही देने से संरक्षण



मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

③ प्राण व दैहिक स्वतंत्रता :- किसी व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।

न्यायलय द्वारा इसमें गोपनीयता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि को भी समय समय पर शामिल किया है।

④ शिक्षा का अधिकार :- 86 वे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसे 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।

⑤ मित्र गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण :-

(i) गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार।

(ii) अपनी शर्तों के तहत से मामला उपभुक्त करने का अधिकार।

(iii) शरीर घण्टों के अन्दर मॉनिटरिंग के समक्ष प्राप्ति का अधिकार।

इस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की मूल भावना में



160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:03

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

हाथिए
में न
लिखें

प्रश्न
संख्या

हमालत है। न्यायलय ने भी समय समय

पर इनका विश्वास किया है। अतः

प्रतिगत स्वतंत्रता ही लोकतंत्रायक
प्रवर्द्धा का मूल है।

2020-8-19 18:03

प्रश्न संख्या


मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

3 B

भारतीय सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की कोर्ट के समान परिसंघीय न्यायलय, मूल अधिकारों का संरक्षक, संविधान का अन्तिम व्याख्याकार है, विदेश के समान सिविल व अपराधिक मामलों के अपील की अन्तिम न्यायलय है।



(i) आरंभिक अधिकारिता - ऐसे मामले जिनकी न्यायलय में हो सकती है। शुरुआत सर्वोच्च न्यायलय में है। जिसका उल्लेख अनु 131 में है।

ऐसे विषय हैं:-

- (i) भारत सरकार बनाम अन्य राज्य सरकार
- (ii) दो या अधिक राज्यों के बीच




160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

भारत सरकार + राज्य सरकार वनाम अन्य राज्य

(2) रिट अधिकारिता :- मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनु. 32 अनु. 32 रिट जारी कर सकता है।



(3) अपीलीय अधिकारिता :- सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा अपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अन्तिम न्यायालय है।

(4) शत्रुकारी अधिकारिता :- राष्ट्रपति अनु. 143 अनु. 143 विधी या तटम को प्रति उत्पन्न होने पर उच्चतम न्यायालय को निर्देशित

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

कर सकेगा। किसी ऐसी शब्दाद को राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं है।

(5)

आभिलेख न्यायलय; अनु. 129 अनुसूची

न्यायलय के सभी निर्णय

आदेश, निर्देश शैली शक्ति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी उच्चतम न्यायलय उन्हें अपने उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सकें।

(6)

न्यायिक पुनर्बाबलोकन की शक्ति

इसके

अन्तर्गत न्यायपालिका विधायिका द्वारा

बनाए गए किसी भी कानून या कार्य

पालिका आदेशों का संवैधानिक ढांचे के अनुसार

परीक्षण कर उसे शून्य घोषित कर सकती है।

साथ ही वह शक्तों के निर्णयों

की भी समीक्षा कर सकती है।

(7) अन्य शक्तियाँ - उच्च न्यायलयों का शंकांतरण


शक्तियों के नियम व नियुक्तियाँ, जनहितपालिका

शुभना आदि

इस प्रकार उच्चतम न्यायलय एक

परिपक्व न्यायलय है जो न्यायव्यवस्था को

रूढ़ विन्दु है। यह पूर्णतः स्वतंत्र व्यवस्था



160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:03

हाशि
में न
लिखें

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

हाशि
में न
लिखें

का परिचायक है। तथा इसके अन्तर्गत तथा
निर्णय सम्पूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में अन्तर्गत
रूप से लागू होते हैं।

2020-8-19 18:04

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

3 C

भारत में उच्च लोकसेवाओं में भारी तथा अन्य कार्मिक प्रशासन कार्यों की निष्पत्ति के लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 में है।

इस प्रकार यह एक संवैधानिक संस्था है।

संरचना:

(i) इसका एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्य हैं। अध्यक्ष निष्पत्ति की संस्था का कार्य राष्ट्रपति करता है।


(ii) आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो।

(iii) अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें निष्पत्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति को है।

(iv) पद अवधि -

6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो।

(v) दुरुस्तिवहार एवं कदाचार के आशय पर पदच्युत के लिए उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति हटा सकता है।



160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:04

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

वर्तमान अध्याय - अरविन्द सम्मेलन

संघ लोक सेवा आयोग भूमिकारः अनु 320 के अनुशासक

→ (i) संघ के लिए नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना।

→ (ii) यदि एक या अधिक राज्य भर्ती के लिए आवेदन करने पर उनकी सहायता करना।

→ (iii) ~~संघ~~ संघ सरकार को निम्न मामलों में सलाह देना

→ (iv) अनुसैनिक सेवाओं में बाधा/ली के तरीके से संविधित मामले।

(b) तरकीबें बदली में।

→ (c) सरकारी अधिकारियों के अनुशासन संबंधी।

→ (d) सरकारी कर्मचारियों को किसी कर्षण में क्षति पहुँची उसके संबंध में।

→ (e) राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्देश



अन्य विषयों में।

यदि यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग
अब तक संकल्पपूर्वक अपने कार्यों
का निर्वाह करता है किंतु कुछ मामलों
में इसकी आलोचना चर्चा में रही :-

(i) परीक्षा पेटने को लेकर हिन्दी माध्यम
के विद्यार्थियों के साथ पक्षपात का
अभ्यास है।

(ii) सिविल सेवा को का भ्रष्टाचार में लिप्त
पाया जाना प्रश्न चिन्ह खड़े करता है।

(iii) परीक्षा पेपर में हिन्दी के अनुवाद
को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं।

(iv)

निष्कर्ष: कहा जा सकता
है संघ लोक सेवा एक उत्कृष्ट नियुक्ति
प्रक्रिया का संचालन करने वाला देश का
सर्वोच्च निकाय है। संवत्सरा पर्यन्त
नौकरशाही को कुशल व नवीनतम विचारों

हासि
में
लि

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

के श्राव्य जोड़ने का कार्य किया है।

2020-8-19 18:04